

प्रारूप-30

(वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत समस्त वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्तावों में भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्रों पर सूचना/अभिलेख संलग्न किये जाने हैं।)

FORM-1

(for linear projects)

Government of Uttarakhand

Office of the District Collector - Almora

No---

Dated-----

TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 9.153 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of Rural Development Department for Bhagwati - Timta Motor Road in Almora district falls within jurisdiction of Kanoli, Laluri, Timta, Kakadkhet and Jethuwa village (s) in Chaukhutiya tehsils.

It is further certified that:

- the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 9.153 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub- Division level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure 30.1 to 30.3 annexure.
- the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;
- the proposal does not involve recognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Encl: As above.

Signature

बिला अधिकारी
अल्मोडा

10.10.15

(Full name and official seal of the District Collector)

प्रारूप-30.1

OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER

DISTRICT ALMORA (U.K.)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

A meeting of the district level committee of Almora district, constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of Mr. Vinod Kumar Suman I.A.S deputy commissioner, Almora on dated 10.03.15 at time 11.30 AM at Collectriate in which application claiming rights in Chaukhutiya area measuring 9.153 hect for the construction of Bhagwati - Timta Motor Road forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of Chaukhutiya sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place; Almora

Dated:.....

अधिकांसी अधिकारी
पीएमओ/सहायक सचिव
लोक निर्माण विभाग
अल्मोड़ा (उ.क.)

जिला समाज कल्याण अधिकारी
अल्मोड़ा

जिला अधिकारी 10.03.15
Dputy Commissioner-cum-Chairman

District Level Committee

सहायक अभियन्ता,
सिचाई सण्ड, (को.एम.जे.एस.वार्ड.)
लोक निर्माण विभाग, अल्मोड़ा

प्रपत्र-30.2

परियोजना का नाम :- पञ्चसूची ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत ग्राम
के रिश्ता गैर ग्राम के निर्माण
 कार्यालय उप जिलाधिकारी मौखुरिया
 अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत
 प्रमाण-पत्र
 उपखण्ड स्तरीय समिति मौखुरिया

उपखण्ड मौखुरिया परिक्षेत्र के अन्तर्गत ग्रामवासी के रिश्ता गैर ग्राम
 (०.०० हे० आरक्षित वन भूमि १.१५३ हे० सिविल एवं सोयम वन भूमि ०.०० हे० वन पंचायत भूमि, अर्थात् कुल १.१५३ हे०
 वन भूमि) का ग्राम विकास विभाग प्रयोक्ता एजेंसी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित
 जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति,
 (तहसील मौखुरिया) की दिनांक 13-01-15 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के
 अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री एम० एस० जलियाल उप जिलाधिकारी एवं
 अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति
 निम्नानुसार है-

- 1- श्री एम० एस० जलियाल उपजिलाधिकारी मौखुरिया अध्यक्ष
- 2- श्री बी० एस० जीना उप प्रभागीय वनाधिकारी अल्मोड़ा सदस्य
- 3- श्री विशाल कुमार सहायक समाज कल्याण अधिकारी मौखुरिया सदस्य / सचिव
- 4- श्री जुद्धन सिंह खन्ना बी०डी०सी० क्षेत्र रिश्ता सदस्य

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की
 कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि पञ्चसूची ग्राम सड़क योजना
के अन्तर्गत ग्रामवासी के रिश्ता गैर ग्राम के निर्माण
 परियोजना हेतु १.१५३ हे० वन भूमि ग्राम विकास
विभाग उत्तराखण्ड प्रयोक्ता एजेंसी के पक्ष में हस्तान्तरित किये
 जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त
 भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की
 गई है।

- 1-6 (A) -

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बन्धी नियम 2008 के प्रावधानों को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड चौखुटिया परिक्षेत्र के अन्तर्गत मन्वती से दिग्ग जौहरगर्ग परियोजना के निर्माण हेतु 9.15.3 हे० वन भूमि ग्राम विकास विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सहमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील चौखुटिया
जनपद अल्मोड़ा

प्रतिलिपि जिलाधिकारी, अल्मोड़ा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील चौखुटिया
जनपद अल्मोड़ा

प्रमुख विकास अधिकारी
ग्राम विकास विभाग
वि० सं० चौखुटिया (अल्मोड़ा)

Kundan Singh
कुन्दन सिंह रावल
ग्राम पंचायत सहस्र टिम्टा
वि० सं० चौखुटिया (अल्मोड़ा)

उप जागादेवी
ग्राम सभा दिग्ग
वि० सं० चौखुटिया
(अल्मोड़ा)

गीता शर्मा
प्रधान
ग्राम पंचायत नाकुथी
वि० सं० चौखुटिया (अल्मोड़ा)

1.6.b

प्रपत्र-30.3

परियोजना का नाम :-

प्रशासनिक ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत
ग्राम सड़क से रिजर्वेड जमीन का निर्माण

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम कनौली

तहसील चौखुर्दि जिला अजमेर

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद अजमेर के अन्तर्गत ग्राम सड़क से रिजर्वेड जमीन परियोजना

के निर्माण हेतु (0.00... हे० आरक्षित वन भूमि 9.15.3 हे० सिविल सोयन भूमि 0.00 हे० वन पंचायत भूमि 0.00 हे०) अर्थात् कुल 9.15.3 हे० वन भूमि का ग्राम विकास विभाग उत्तराखण्ड विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत कनौली द्वारा दिनांक 13.01.15 को

सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम कनौली के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि ग्राम विकास विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जा सत्य एवं सही है।

ह०/-
ग्राम सचिव
मुहर सहित

Kundan Singh
कुन्दन सिंह रावत
ग्राम पंचायत सदस्य (विस्था)
बैठक चौखुर्दि (अजमेर)

ह०/
ग्राम प्रधान/सरपंच
मुहर सहित

प्रधान,
ग्राम पंचायत कनौली (अजमेर)
बैठक चौखुर्दि (अजमेर)

ग्राम विकास
ग्राम पंचायत कनौली
बैठक चौखुर्दि (अजमेर)

1.6 c

प्रपत्र-30.4

दिनांक 13.01.15 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत :- कौली

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	दरभान नर-र	
2	दरभान नर	
3	किशानाकरपन	
4	बालादत्त	
5	बालादत्त	
6	दुर्गा नन्द पन्ना	
7	शेखर चन्द्र पन्ना	
8	शेखर चन्द्र पन्ना	
9	नन्दलाल	
10	पुष्पाश-चन्द	
11	रमेशचन्द्र	
12	चन्द्रचन्द्र	
13	कौलीवा	
14	मंगलजी	
15	मंगलजी	
16	संसार	
17	दीपनो राम	
18	किशोर कुमार	
19	उमा	
20		

Kandh Singh

कुन्दन सिंह राजन
ग्राम पंचायत सदस्य

रमेशचन्द्र

ग्राम प्रधान

ग्राम पंचायत सदस्य

1.6.18

प्रपत्र-30.3

परियोजना का नाम :-

उत्तराखण्ड की जनसंख्या को अन्तर्गत अनापत्ति
से दिया और और का निर्माण

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम लालुड़ी

तहसील चौकुटिया जिला अल्मोड़ा

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत अनापत्ति से दिया और परियोजना

के निर्माण हेतु (१.१०.१०) हे० आरक्षित वन भूमि १.१५.३ हे० सिविल सांयन भूमि १.१०.१० हे०, वन पंचायत भूमि १.१०.१० हे०) अर्थात् कुल १.१५.३ हे० वन भूमि का अनापत्ति प्रमाण पत्र/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत लालुड़ी द्वारा दिनांक १३.०१.१५ को

सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कच्चा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कच्चा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम लालुड़ी के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह०/-
ग्राम सचिव
मुहर सहित

ह०/-
ग्राम प्रधान/सरपंच
मुहर सहित

अ. विकास
को. १०५३
वि० का चौकुटिया (अल्मोड़ा)

कुन्दन सिंह रावल
ग्राम पंचायत चौकुटिया
वि० १० चौकुटिया (अल्मोड़ा)

गीता शर्मा
ग्राम पंचायत लालुड़ी
वि० १० चौकुटिया (अल्मोड़ा)

प्रपत्र-304

दिनांक 13-01-15 को ग्राम सभा की सन्मन बैठक की संप्रस्थिति

ग्राम पंचायत - लापुरी

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	देवेन्द्र सिंह शर्मा	देवेन्द्र सिंह
2	महबूब ज़ोहन शर्मा	महबूब
3	मुकेश चन्द फोडर	मुकेशचन्द
4	भास्कर देवी	भास्कर देवी
5	लता देवी	लता देवी
6	रवली देवी	रवली देवी
7	वीना देवी	वीना देवी
8	जगदीश सिंह शर्मा	जगदीश
9	गिरिधर चन्द	गिरिधर चन्द
10	सुन्दर सिंह	Sunder Singh
11	हार्दय शर्मा	Harday
12	दीपक प्रेम कुंढान	दीपक
13	— वहाबचान	वहाबचान
14	प्रयागदत्त पाण्डेय	प्रयाग दत्त
15	रमेशचन्द्र पाण्डेय	रमेश
16	आनन्द सिंह	Anand
17	चतुरसिंह	Chatur Singh
18		
19		
20		

Kundan Singh

कुन्दन सिंह रावत
जेल पंचायत सदस्य रिट्टा
बे० प० प० (अन्वोडा)जीता शर्मा
प्रधान

1.6 +

प्रपत्र-30.3

परियोजना का नाम :-

अन्तर्गत ग्राम सभा योजना के अन्तर्गत
मगवली से रिमो बोर्डर मार्ग का निर्माण

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम रिमो

तहसील रिमो जिला चम्पारण

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद चम्पारण के अन्तर्गत मगवली से रिमो बोर्डर परियोजना

के निर्माण हेतु (0.00) हे० आरक्षित वन भूमि 9.153 हे० सिविल सोयम भूमि 0.00 हे० वन पंचायत
भूमि 0.00 हे० अर्थात् कुल 9.153 हे० वन भूमि का ग्राम विकास विभाग द्वारा प्रस्तावित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत रिमो द्वारा दिनांक 13.01.15 को
सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र
निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि
में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट
दिया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा
है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परस्परगत अधिकारों का हमन नहीं
हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि
ग्राम रिमो के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि ग्राम विकास विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी
को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जा सत्य एवं सही है।

ग्राम सचिव
ग्राम विकास विभाग
वि० स० चम्पारण (अन्तर्गत)

Kundh Singh
कुन्दन सिंह रावत
ग्राम पंचायत रिमो
वि० स० चम्पारण (अन्तर्गत)

ह०/-
ग्राम प्रधान/सर्वपंच
उमरादेवी
ग्राम विकास विभाग
वि० स० चम्पारण
(अन्तर्गत)

प्रपत्र-30.4

दिनांक 18-11-15 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत :- 12021

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	श्रीमा नन्द	श्रीमा नन्द
2	देव सिंह	देव सिंह
3	नर सिंह	नर सिंह
4	राम सिंह	राम सिंह
5	तिलोत्तम सिंह	तिलोत्तम सिंह
6	श्रीमा देवी	श्रीमा देवी
7	श्रीमा देवी	श्रीमा देवी
8	श्रीमा नन्द	श्रीमा नन्द
9	श्रीमा देवी	श्रीमा देवी
10	श्रीमा देवी	श्रीमा देवी
11	नर सिंह	नर सिंह
12	नरेश देवी	नरेश देवी
13	गुसाई राम	गुसाई राम
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		

श्रीमा देवी
विकास अ
ग्राम पंचायत

Kundhan Singh
कुन्दन सिंह रावल
ग्राम पंचायत सदस्य डिप्टी
ब्लॉक पंचायत (अम्बोडा)

- 80/-
श्रीमा देवी
ग्राम प्रधान
34

16 M

प्रपत्र-30.3

परियोजना का नाम :-

पञ्चनमंती ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत
मगवती से रिमर मोटर मार्ग का निर्माण

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम कलसरेत

तहसील चौखुटिया, जिला अल्मोड़ा

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत मगवती से रिमर मोटर मार्ग परियोजना

के निर्माण हेतु (०.००) हे० आरक्षित वन भूमि १.१५३ हे० सिविल सोयम भूमि ०.०० हे०, वन पंचायत भूमि ०.०० हे०) अर्थात् कुल १.१५३ हे० वन भूमि का अखिल विमान विमान उत्तराखण्ड विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत कलसरेत द्वारा दिनांक १३-०१-१५ को

सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम कलसरेत के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि अखिल विमान विमान प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह०/-
ग्राम सचिव
मुहर सहित

रखा जेगी
प्रमाणित
उक्त पंचायत कलसरेत
दि० १०/०१/१५
ह०/-
ग्राम प्रधान/सरपंच
मुहर सहित

ग्राम विकास अधिकारी
क्षेत्र मगवती पंचायत
वि० ए० चौखुटिया (अल्मोड़ा)

प्रपत्र-30.4

दिनांक 12-01-15 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत :- ककड़खोत

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	उमराव सिंह	उमराव सिंह
2	चतुर सिंह	चतुर सिंह
3	ध्यान सिंह	ध्यान सिंह
4	दीन सिंह	दीन सिंह
5	राम सिंह	राम सिंह
6	राध सिंह	राध सिंह
7	नन्द सिंह	नन्द सिंह
8	शुक्ली देवी	शुक्ली देवी
9	गांधी देवी	गांधी देवी
10	नन्दी देवी	नन्दी देवी
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		

- ४०/-

ग्राम विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत
ककड़खोत

ग्राम प्रधान
रसा देवी

163

प्रपत्र-30.3

परियोजना का नाम :-

प्रधानगंली ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत
अमली के रिहा मोटर मार्ग का निर्माण

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम जेठुआ

तहसील चौबुटिया, जिला अल्मोड़ा

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत अमली के रिहा मोटर मार्ग परियोजना

के निर्माण हेतु (.....) हे० आरक्षित वन भूमि 9.15.3 हे० सिविल सोयम भूमि 0.0.0 हे० वन पंचायत भूमि 0.0.0 हे० अर्थात् कुल 9.15.3 हे० वन भूमि का ग्राम विकास विभाग उत्तराखण्ड विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत जेठुआ द्वारा दिनांक 13.01.15 को

सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम जेठुआ के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि ग्राम विकास विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जा सत्य एवं सही है।

ह०/-
ग्राम सचिव
मुहर सहित

ग्राम विकास अधिकारी
क्षेत्र अल्मोड़ा
वि० ख० चौबुटिया (अल्मोड़ा)

ह०/-
ग्राम प्रधान/सरपंच
मुहर सहित

प्रधान,
ग्राम पंचायत जेठुआ
वि० ख० चौबुटिया (अल्मोड़ा)

लीला देवी
सदस्य
क्षेत्र पंचायत जेठुआ
वि० ख० चौबुटिया (अल्मोड़ा)

1-6 ५

प्रपत्र-30.4

दिनांक 13-11-15 को ग्राम समा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत :- जेठुआ

क्रमांक	ग्राम समा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	राजेश्वर सिंह जाल्पूनाथ	
2	इरीक शर्मा श्री श्री जेठुआ जेठुआ	
3	गोबुला लाल शर्मा श्री ५५२	
4	रामा देवी मेहरा	
5	जिंदी जींदी	
6	जिंदी देव	
7	गोविन्द लाल	
8	राधा देवी	
9	मोहनी देवी	
10	नरेश्वर सिंह	
11	हरी देवी	
12	दीपा विष्ट	
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		

लीला देवी

सदस्य
क्षेत्र पंचायत जेठुआ
वि० ख० चौरुटिया (अमोडा)

हस्ताक्षर

- ३०/-

प्रधान,

ग्राम पंचायत जेठुआ
चौरुटिया (अमोडा)